पत्रांक–.....**2368**......./आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मुजफ्फरपुर एवं मधेपुरा।

पटना–15, दिनांक– 15/08/17

विषय – बाढ़ प्रभावित परिवारों को सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) के संचालन एवं फूड पैकेट के वितरण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि बाढ़ की विभीषिका के आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि बाढ़ पीड़ितों तक पर्याप्त भोजन की व्यवस्था तत्काल मुहैय्या करायी जाए। इस संबंध में अविलंब निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कार्रवाई की जाए –

1. **सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen)** : बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु यह सुनिश्चित करें कि वैसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर बाढ़ शरणार्थी पूर्व से रह रहे हैं या जहाँ आने–जाने में विशेष दिक्कत नहीं हो। उदाहरणस्वरूप पूर्णिया जिले के बायसी अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित लोग राष्ट्रीय उच्च पथ पर काफी संख्या में रह रहे हैं। अतः आज से राष्ट्रीय उच्च पथ पर पूर्व से अवस्थित लाइन होटलों को कम्युनिटी किचेन के रूप में उपयोग में लाया गया है। इसी प्रकार कटिहार से बारसोई के बीच में सात रेलवे स्टेशन हैं जिनको कम्युनिटी किचेन के रूप में उपयोग की कार्रवाई जिला प्रशासन कटिहार के द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार आवश्यकतानुसार शहर, पंचायत, गाँव स्तर पर भी समुचित स्थानों को चिन्हिंत कर कम्युनिटी किचेन स्थापित कर सफलतापूर्वक संचालित किया जाए।

इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :–

(i) जो लोग भोजन करने आयेंगे उनका पंजीकरण कर लिया जाए ताकि लेखा के संधारण में कठिनाई नहीं हो। इस कार्य में व्यय होनेवाली राशि का वहन खाद्यान्न की आपूर्त्ति मद के विशेष शीर्ष 21 03 आहार/पथ्य से किया जाएगा।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि कम्युनिटी किचेन की सफाई समुचित रूप से हो और गंदगी का अम्बार आसपास नहीं हो।

(iii) कम्युनिटी किचेन से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 2367/आ0प्र0, दिनांक 15.08.2017 द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र में भेजना अनिवार्यतः भेजा जाए।

(iv) सामुदायिक रसोईघर (Community Kitchen) की व्यवस्था से संबंधित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी Whatsapp/E-mail आदि के माध्यम से भेजने की कार्रवाई की जाए।

(v) **कम्युनिटी किचेन में पूड़ी तथा तले हुए खाद्य पदार्थों की आपूर्त्ति नहीं की जाएगी। यह पूर्णतः प्रतिबंधित है।**

(vi) संचालित कम्युनिटी किचेन की जाँच हेतु जिला स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की ऐसी व्यवस्था हो ताकि कम–से–कम प्रत्येक दिन 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था निश्चित रूप से रहे। जाँच के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लगातार एक ही केन्द्र की जाँच न हो बल्कि भिन्न–भिन्न तिथियों में भिन्न–भिन्न केन्द्रों की जाँच की जाए।

2. **फूड पैकेट्स** – यह अत्यंत आवश्यक है, कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवारों को फूड पैकेट्स प्राप्त हो इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई आवश्यक है –

(क) फूड पैकेट की सामग्री – प्रत्येक प्रभावित परिवार को दिये जाने वाले फूड पैकेट एवं ड्राई राशन के निम्नांकित सामग्रियों को सम्मिलित करना आवश्यक है–

फूड पैकेट :–

(i) चावल – 5 कि0ग्रा0;

(ii) दाल – 01 कि0ग्रा0

(iii) आलू – 02 कि0ग्रा0

(iv) नमक – ½ कि0ग्रा0 एवं

(v) हल्दी का छोटा पैकेट

<u>**ड्राई राशन**</u>

(i) चीनी – ½ कि0ग्रा0

(ii) चना – 1 कि0ग्रा0

(iii) चुड़ा – 2½ कि0ग्रा0 एवं

(iv) हैलोजन टैबलेट

<u>**नोटः–**</u> उपर्युक्त सभी सामग्रियों को एक बड़े पैकेट में डालकर प्रत्येक पीड़ित परिवार के बीच वितरित किया जाना है।

(ख) वर्तमान परिस्थिति में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ आवागमन में बाधा हो सकती है, जैसे– पुल का टूटना, संपर्क पथ का भंग होना आदि। आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रभावित पंचायतों का वर्गीकरण कर लिया जाए एवं वैसे पंचायत जहाँ अभी भी आवागमन की व्यवस्था बहाल नहीं हो पायी है उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फूड पैकेट्स का वितरण किया जाए। इसके लिए आपके जिले में कार्यरत NDRF/SDRF/Army की सहायता भी ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भी संपर्क सड़कों पर यातायात पुनः बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। फिर भी यदि ऐसे क्षेत्र संज्ञान में आते हों जहाँ यातायात की पुनर्बहाली का कार्य नहीं हुआ हो/नहीं हो रहा हो, तो संबंधित विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से इसे सुनिश्चित कराया जाए तथा इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग को भी दी जाए।

(ग) सामग्रियों की पैकेजिंग करने के पूर्व उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित कर ली जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पैकेजिंग के 48 घंटे के अंदर पैकेटों का वितरण हो जाए ताकि उसके अंदर की सामग्री खराब न होने पाए। फूड पैकेट के सामग्रियों में विशेष कर आलू जल्दी खराब होने की संभावना रहती है फलस्वरूप उसपर विशेष ध्यान दिया जाए।

(घ) यदि उच्च गुणवत्ता का आलू मिलने में कठिनाई हो तो उसके स्थान पर 01 कि0ग्रा0 सोयाबीन की बरी डाला जा सकता है।

(ड़) **पैकेजिंग करने से संबंधित निदेश** – पैकेजिंग के लिए निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :–

(i) स्थल का चयन इस प्रकार से हो कि वहाँ बड़ी संख्या में लोगों को सामानों की पैकेजिंग हेतु बैठाया जा सके।

(ii) पैकेजिंग स्थल पर रोशनी एवं हवा की पर्याप्त व्यवस्था रहे ।

(iii) पैकेजिंग स्थल पर साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा पैकेजिंग के समय इसमें शामिल कर्मियों को जूता–चप्पल को कमरे और हॉल के बाहर ही खोला जाए।

(iv) मामले की संवेदनशीलता तथा समय–सीमा को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि तीन पाली (24X7) में पैकेजिंग का कार्य निरन्तर चलता रहे तथा इसके वरीय प्रभार में दक्ष एवं अनुभवी प्रशासनिक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाए।

(v) रोशनी की व्यवस्था – पैकेजिंग स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार जेनरेटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(vi) सम्पूर्ण योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सामग्री पैकेजिंग एवं वितरण में निरन्तरता एवं समन्चय बना रहे, इसके लिए आवश्यकतानुसार परिवहन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।

(च) **वितरण की योजना** – फूड पैकेट्स के वितरण हेतु निम्न कार्रवाई की जानी आवश्यक है:–

(i) फूड पैकेट के वितरण हेतु यह आवश्यक है कि इसका अग्रिम कार्यक्रम तैयार कर लिया जाए एवं उक्त कार्यक्रम के अनुसार सामग्रियों का आकलन एवं आपूर्ति कराई जाए ताकि कार्यक्रम के अनुसार वितरण भी सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को वितरण कार्यक्रम की सूचना देकर उनसे वितरण के समय उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाए।

(iii) स्थानीय स्तर पर मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता हेतु उनसे अनुरोध किया जाए।

उपर्युक्त कार्रवाई के आलोक में पैकेजिंग एवं वितरण की यथा संभव फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करायी जाए तथा प्रत्येक दिन आपदा प्रबंधन विभाग को प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

15/8

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 708 नि०आ०, दिनांक 20/08/2017

प्रतिलिपि सभी अंचलाधिकारी, किशनगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज/प्रखंड के सभी वरीय पदाधिकारी किशनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला आपदा प्रबंधन
20.8.17 किशनगंज